

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 18-10-2025

विषय सूची

- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर पैनेल का गठन
- » IMEC के लिए फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान आवश्यक
- » श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा
- » वर्धित कृषि ऋण के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना
- » माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण

संक्षिप्त समाचार

- » बाथौ धर्म
- » वी राइज़ पहल
- » UPOV सम्मेलन
- » रोटवायरस वैक्सीन बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के विरुद्ध प्रभावी
- » राज्य खनन तत्परता सूचकांक
- » वनों के लिए वित्त की स्थिति (SFF) रिपोर्ट
- » REDD+ कार्यक्रम
- » ब्रह्मोस
- » राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर पैनल का गठन

समाचारों में

- सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार करना और लिंग गैर-अनुरूप व विविध व्यक्तियों के लिए समावेशी चिकित्सा देखभाल व संरक्षण के उपाय सुझाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में प्रणालीगत बाधाओं को उजागर किया, जिसमें 'तीसरे लिंग' विकल्प की कमी एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अपनी पहचान छिपाने की अपेक्षा शामिल है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनकी गरिमा का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने नियम 9 के अंतर्गत अपील्य प्राधिकरणों की नियुक्ति, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल्याण बोर्डों की स्थापना, तथा जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस महानिदेशकों के अधीन ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना का आदेश दिया।
- न्यायालय ने एक राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन की मांग की और यह सुनिश्चित करने जैसे सुरक्षा उपायों की सिफारिश की कि किसी ट्रांसजेंडर को महिला अधिकारी की उपस्थिति के बिना गिरफ्तार न किया जाए।
- सार्वजनिक और निजी संस्थानों को लिंग-समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया तथा सार्वजनिक स्थलों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंग-विविध स्क्रीनिंग बिंदुओं का सुझाव दिया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने चुनौतियाँ

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियमों के कार्यान्वयन में संस्थागत खामियाँ।
- नीति निर्माण में डेटा और प्रतिनिधित्व की कमी।

- स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव, जिसमें लिंग-पुष्टि उपचार से मना शामिल है।
- कार्यस्थल पर बाधाएँ और संवेदनशीलता प्रशिक्षण की कमी।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांस व्यक्तियों के विरुद्ध सामाजिक कलंक और हिंसा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 आत्म-परिकल्पित लिंग पहचान के अधिकार की पुष्टि करता है और गरिमा, शिक्षा व रोजगार में भेदभाव रहित समावेशी कल्याण योजनाओं को अनिवार्य करता है।
 - अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 2020 के नियम बनाए गए और एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की गई, जो सरकार को परामर्श देती है, नीति प्रभाव की निगरानी करती है और विभागों व एनजीओ के बीच समन्वय करती है।
- NALSA (2014):** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और आत्म-पहचान की पुष्टि की, जिससे आरक्षण एवं सकारात्मक उपायों का न्यायिक आधार बना।
- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल:** पहचान प्रमाणपत्र और कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है, जिससे अधिकारों की प्राप्ति में बाधाएं एवं भौतिक संपर्क कम होते हैं।
- SMILE योजना:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समग्र कल्याण और पुनर्वास सहायता हेतु सरकारी कार्यक्रम, जिसमें आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा घटक शामिल हैं।

आगे की राह

- गेटकीपिंग की जगह आत्म-पहचान मार्ग अपनाएं और पहचान पत्र प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि लाभों एवं सेवाओं से बहिष्करण रोका जा सके।
- शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करें, उचित समायोजन लागू करें, और संरक्षण प्रकोष्ठों को मापनीय समयसीमा व जवाबदेही के साथ क्रियाशील करें।

- समान अवसर नीति को राष्ट्रव्यापी रूप से अपनाएं, शिक्षा एवं रोजगार में भेदभाव-रोधी और समायोजन मानदंडों को शामिल करें, तथा प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित करें जिसमें गैर-अनुपालन पर दंड हो।

Source: TH

IMEC के लिए फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान आवश्यक

संदर्भ

- भारत-मिस्र रणनीतिक संवाद का प्रथम संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मिस्र के विदेश मंत्री ने की।
 - ▲ दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की प्रगति पर चर्चा की।

परिचय

- **मिस्र की स्थिति:** मिस्र भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं का समर्थन करता है, लेकिन मानता है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाए बिना प्रगति असंभव है।
 - ▲ मिस्र ने भारत को मिस्र के स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया — जहां रूस, चीन और अन्य देशों के औद्योगिक परिसर पहले से उपस्थित हैं — ताकि संपर्क एवं व्यापार सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।
- **भारत का फिलिस्तीन को समर्थन:** विदेश मंत्री ने दो-राज्य समाधान के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की पुनः पुष्टि की, अर्थात् इजराइल और फिलिस्तीन का स्वतंत्र राज्यों के रूप में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- **मिस्र की भू-रणनीतिक भूमिका:** मिस्र एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने का लक्ष्य रखता है, तथा अपने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र का उपयोग औद्योगिक एवं व्यापार सहयोग के लिए करता है।
 - ▲ गाजा में मिस्र की मध्यस्थता और गाजा शांति समझौते (2025) में भागीदारी इसकी मध्य पूर्व

शांति प्रयासों एवं संपर्क कूटनीति में केंद्रीयता को सुदृढ़ करती है।


भारत-मिस्र संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- राजनयिक संबंध 1947 में राजदूत स्तर पर स्थापित हुए।
 - ▲ दोनों देश 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य थे।
- **द्विपक्षीय संबंध:** भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता (MFN क्लॉज पर आधारित) 1978 से लागू है।
 - ▲ FY 2021-22 में व्यापार US\$ 7.26 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंचा।
 - ▲ FY 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग US\$ 5.2 बिलियन रहा (भारत से मिस्र को निर्यात ~ US\$3.84 बिलियन; आयात ~ US\$1.3 बिलियन)।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** 2022 में भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए।
 - ▲ 2021 में प्रथम बार IAF-EAF संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास “डेजर्ट वॉरियर” आयोजित हुआ।
 - ▲ 2025 में दोनों देशों की विशेष बलों की भागीदारी वाला अभ्यास “साइक्लोन” का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ।
- **भारतीय समुदाय:** मिस्र में 6,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, और लगभग 2,000 भारतीय छात्र मिस्र में पढ़ते हैं।
- **तंत्र:** संयुक्त विदेश कार्यालय परामर्श (FOC), संयुक्त व्यापार आयोग (JTC), संयुक्त रक्षा समिति (JDC), तथा विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह (JWGs) जैसे कि नई और नवीकरणीय ऊर्जा, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

- **पृष्ठभूमि:** IMEC, एक प्रस्तावित 4,800 किमी लंबा मार्ग, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया।
 - ▲ यह भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के नेताओं की बैठक के बाद सामने आया।

- **सदस्य:** भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा की।
- **उद्देश्य:** एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण। IMEC दो अलग-अलग गलियारों में विभाजित होगा:
- पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व से जोड़ेगा।
- उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ेगा।



IMEC में शामिल बंदरगाह

- **भारत:** मुंद्रा (गुजरात), कांडला (गुजरात), और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई)।
- **यूरोप:** पिराएस (ग्रीस), मेसिना (दक्षिणी इटली), और मार्सिले (फ्रांस)।
- **मध्य पूर्व:** फुजैरा, जेबेल अली, और अबू धाबी (UAE); दमाम और रस अल खैर (सऊदी अरब)।
- **इजराइल:** हाइफा पोर्ट।
- **रेलवे लाइन:** यह रेलवे लाइन UAE के फुजैरा पोर्ट को इजराइल के हाइफा पोर्ट से जोड़ेगी, जो सऊदी अरब (धुवैफात एवं हारध) और जॉर्डन से होकर गुजरेगी।

IMEC का महत्व

- **आर्थिक विकास:** एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़कर संपर्क एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत की संपर्क और व्यापार पहुंच में वृद्धि:** IMEC भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक सीधा, तीव्र और सुरक्षित व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जो अरब प्रायद्वीप एवं भूमध्य सागर से होकर गुजरता है।

- **स्वेज नहर पर निर्भरता में कमी:** यह मार्ग शिपिंग समय को 40% तक और लागत को 20-30% तक कम करता है।
- **भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती:** यह भारत के अमेरिका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, UAE और इजराइल जैसे प्रमुख भागीदारों से संबंधों को गहरा करता है।
- **भारत की “एक्ट वेस्ट नीति” के अनुरूप:** यह पारंपरिक साझेदारों और नए क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा:** यह गलियारा ऊर्जा पाइपलाइनों और ग्रीन हाइड्रोजन नेटवर्क को जोड़ सकता है, जो भारत को खाड़ी उत्पादकों एवं यूरोपीय उपभोक्ताओं से जोड़ता है।
- **भारत के ऊर्जा आयात में विविधता:** यह नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाता है।
- **पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना:** यह पर्यावरणीय रूप से अनुकूल अवसंरचना के विकास पर बल देता है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के कारण अन्य साझेदार परियोजना में निवेश करने से संकोच कर रहे हैं।**
- **मध्य पूर्व में अस्थिरता ने परियोजना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और इसमें देरी भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हानि पहुंचा सकती है।**
- **राजनीतिक सहमति की कमी:** यद्यपि यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान हस्ताक्षरित हुआ था, IMEC ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर करता है।
- **सदस्यों के विविध प्राथमिकताएँ:** समन्वय और क्रियान्वयन की गति को धीमा करती हैं।
- **आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता:** परियोजना की अनुमानित लागत बहुत अधिक है, जिसमें कई देशों में बंदरगाह, रेलवे, पाइपलाइन और डिजिटल अवसंरचना शामिल है।

चिंताएँ

- **वित्तपोषण तंत्र की अस्पष्टता:** यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तपोषण बहुपक्षीय, सार्वजनिक-निजी या राज्य-निधि आधारित होगा।
- **अवसंरचना की कमी और तकनीकी चुनौतियाँ:** पश्चिम एशियाई देशों में विशेष रूप से सीमा पार रेलवे संपर्क में महत्वपूर्ण अवसंरचना घाटा है।
- विभिन्न रेलवे गेज, मानकों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का एकीकरण अभी तक हल नहीं हुआ है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** 1977 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच समय-समय पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आधार है।
- **पर्यटन:** भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका का शीर्ष आगंतुक पर्यटन बाजार रहा है, इसके बाद चीन का स्थान है।
 - ▲ श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत रहा है।

आगे की राह

- भू-राजनीतिक चिंताओं को प्रबंधित करने के लिए भाग लेने वाले देशों के हितों को संतुलित करना और संभावित राजनीतिक संवेदनशीलताओं को संबोधित करना आवश्यक है।
- परियोजना जिन अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरती है, वहां आवश्यक सुरक्षा तंत्र बनाए रखना भी आवश्यक है।
- **समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** 2011 में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना का निर्णय लिया गया।
 - ▲ भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति', त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास "दोस्ती", एवं नौसेना अभ्यास SLINEX आयोजित करते हैं।
- **संपर्क परियोजनाएँ:** हाल ही में दोनों पक्षों ने समुद्री, ऊर्जा और जन-जन संपर्क को बढ़ाने के लिए एक दृष्टि दस्तावेज को अपनाया है।
 - ▲ दोनों देशों के बीच एक भूमि पुल विकसित करने की योजना है, जिससे भारत को त्रिंकोमाली और कोलंबो बंदरगाहों तक भूमि मार्ग से पहुँच मिल सके तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

Source: TH

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा

संदर्भ

- श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और मछुआरों के कल्याण पर चर्चा की।

भारत और श्रीलंका संबंध

- **राजनयिक संबंध:** श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- **व्यापारिक संबंध:** भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) 2000 में हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
 - ▲ भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में रहा है और श्रीलंका SAARC में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है।
 - ▲ भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भी एक प्रमुख स्रोत है।

चिंता के क्षेत्र

- **मछुआरों का मुद्दा:** श्रीलंका की भारतीय समुद्री सीमा के निकटता के कारण दोनों पक्षों के मछुआरे मछली पकड़ने की खोज में प्रायः सीमा रेखा पार कर जाते हैं।
 - ▲ 2016 से, मछुआरों की तात्कालिक समस्याओं को हल करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) तंत्र लागू है।

- **चीन का उदय:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के रणनीतिक निवेश चिंता का विषय बने हुए हैं।
 - ▲ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी और बंदरगाहों के संभावित सैन्य उपयोग की आशंका है।
- **समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** पाल्क जलडमरूमध्य और आसपास के जल क्षेत्रों में समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना तथा तस्करी जैसी समस्याएँ।
 - ▲ घटनाओं को रोकने के लिए समुद्री सीमाओं पर निरंतर समन्वय की आवश्यकता है।
- **श्रीलंका में आंतरिक अस्थिरता:** राजनीतिक अशांति या सरकार में बदलाव समझौतों और विकास परियोजनाओं की निरंतरता को प्रभावित करते हैं।
 - ▲ आंतरिक अस्थिरता के कारण अवसंरचना या आर्थिक परियोजनाओं में देरी होती है।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं, जो व्यापार, रक्षा एवं विकास सहयोग से सुदृढ़ होते हैं।
- हालाँकि चीनी प्रभाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- विकसित आर्थिक और समुद्री सहयोग, तथा मजबूत जन-जन संबंध हिंद महासागर में एक सुदृढ़, पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

Source: IE

वर्धित कृषि ऋण के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KaGB) के बल्लारी में प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे “नए ग्रामीण भारत” की बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण वितरण को बढ़ाएं।

भारत में कृषि ऋण

- **कृषि ऋण के स्रोत:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी संस्थाएँ और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) अधिकांश औपचारिक कृषि ऋण प्रदान करते हैं।
- **कृषि ऋण के प्रकार:**
 - ▲ **अल्पकालिक ऋण:** बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए।
 - ▲ **मध्यम और दीर्घकालिक ऋण:** उपकरण, सिंचाई प्रणाली और भूमि विकास के लिए।

कृषि ऋण में प्रोत्साहन की आवश्यकता

- **इनपुट लागत में वृद्धि:** बीज, उर्वरक, मशीनरी और सिंचाई की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के लिए सुलभ एवं समय पर ऋण की आवश्यकता बढ़ गई है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण:** आधुनिक ग्रामीण भारत पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और एग्री-टेक स्टार्टअप जैसे सहायक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है — जिन्हें अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
- **छोटे और सीमांत किसानों की अपर्याप्त पहुंच:** भारत के लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनमें से कई उच्च ब्याज दरों वाले अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर हैं, जिससे औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
- **एफपीओ और MSMEs के लिए समर्थन:** किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और ग्रामीण MSMEs को आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने एवं मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ग्रामीण बैंकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
- **जलवायु और तकनीकी बदलाव:** जलवायु-सहिष्णु कृषि, यंत्रीकरण और डिजिटल कृषि समाधानों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है,

जिससे ऋण की पहुंच परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है।

कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपाय

- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:** किसानों को उनकी विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):** बैंकों को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) का 18% कृषि क्षेत्र को ऋण देने का निर्देश दिया गया है, जिससे क्षेत्र में स्थिर ऋण प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- **व्याज अनुदान योजना (ISS):** विशेष रूप से आपदाओं या फसल की देरी के दौरान किसानों को रियायती ऋण प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता में सुधार होता है।
- **NABARD पुनर्वित्त सहायता:** NABARD ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए कम लागत पर पुनर्वित्त प्रदान करता है।
- **एफपीओ का गठन:** सरकार ने किसानों की सामूहिक सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने और ऋण की पहुंच सुधारने के लिए NABARD और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) द्वारा समर्थित 10,000 FPOs के गठन का लक्ष्य रखा है।
- **डिजिटल पहल:** डिजिटल KCC, एग्रीस्टैक और जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) एकीकरण जैसी योजनाएं ऋण वितरण को सरल बना रही हैं और रिसाव को कम कर रही हैं।

कृषि ऋण में चुनौतियाँ

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** ऋण वितरण असमान है — दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को प्रमुख हिस्सा मिलता है, जबकि पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र वंचित रहते हैं।
- **अल्पकालिक ऋण पर निर्भरता:** अधिकांश कृषि ऋण अल्पकालिक होते हैं, जिससे सिंचाई, भंडारण

और यंत्रीकरण जैसी दीर्घकालिक अवसंरचना में निवेश सीमित होता है।

- **पट्टेदार किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का बहिष्करण:** औपचारिक भूमि शीर्षक की कमी के कारण लाखों लोग संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं बना पाते।
- **ग्रामीण बैंकों में बढ़ते एनपीए:** ऋण चूक और खराब वसूली दरें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) एवं सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं।
- **अप्रभावी ऋण वितरण:** नौकरशाही प्रक्रियाएं, ऋण वितरण में देरी और अपर्याप्त ऋण मूल्यांकन योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

आगे की राह

- **ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाना:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पूंजी समर्थन, डिजिटल अवसंरचना एवं जोखिम प्रबंधन ढांचे से सशक्त करें।
- **सहायक गतिविधियों के लिए ऋण को बढ़ावा देना:** ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ऋण विस्तार करें ताकि आय में विविधता लाई जा सके।
- **पट्टेदार और महिला किसानों को शामिल करना:** संयुक्त देयता समूहों (JLGs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से पहुंच को सुविधाजनक बनाएं ताकि वंचित वर्गों को औपचारिक ऋण के दायरे में लाया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिंग, उपग्रह डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग करके ऋण लक्ष्यीकरण में सुधार करें तथा धोखाधड़ी को कम करें।
- **नीतिगत समन्वय:** वित्त मंत्रालय, NABARD और राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करें ताकि प्रभावी ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके।

Source: BS

माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण

संदर्भ

- छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में 210 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो महाराष्ट्र में हुई इसी प्रकार की घटना के बाद हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकारों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंसा को त्यागकर पुनर्वास को अपनाना है।

माओवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

- यह उग्रवादी कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित था, जो राज्य को उखाड़ फेंकने और एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करता था।
- भारत में LWE की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई, जो माओ ज़ेडोंग की क्रांतिकारी रणनीतियों से प्रेरित था।
- यह आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और बाद में सीपीआई (माओवादी) जैसे समूहों के गठन के साथ गति पकड़ता गया, जिन्होंने चुनावी राजनीति को नकारते हुए हिंसक क्रांति को अपनाया।

भारत में माओवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) के कारण

- सामाजिक-आर्थिक असमानता:** LWE ने उन क्षेत्रों में जड़ें जमाईं जहाँ गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सेवाओं की कमी थी। कई आदिवासी समुदायों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा:
 - खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण भूमि से बेदखली;
 - अपर्याप्त पुनर्वास के साथ विस्थापन;
 - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक सीमित पहुंच।
- शासन की कमी:** दूरस्थ जिलों में प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर होती है और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति भी खराब होती है। इस शून्य का लाभ उठाकर माओवादी समूहों ने:
 - समानांतर शासन संरचनाएं स्थापित कीं;

- स्थानीय शिकायतों का दोहन किया;
- वंचित जनसंख्या के बीच वैधता प्राप्त की।

- आदिवासी असंतोष:** विशेष रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा के विकास से लंबे समय से वंचित महसूस हुआ है। माओवादियों ने इस अलगाव का लाभ उठाकर स्थानीय संघर्षों के साथ स्वयं को जोड़ा और राज्य के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का दावा किया।

प्रभाव में गिरावट

- कभी 'रेड कॉरिडोर' में व्यापक रूप से फैले माओवादी प्रभाव में सरकार की सतत कार्रवाई के कारण उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, LWE प्रभावित जिलों की संख्या 2010 में 126 थी जो 2025 में घटकर केवल 11 रह गई है, जिनमें से केवल तीन जिले — बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर (छत्तीसगढ़) — 'अत्यधिक प्रभावित' के रूप में चिह्नित हैं।
- 2010 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं में 81% और मौतों में 85% की गिरावट दर्ज की गई है।

LWE से निपटने के लिए सरकार की रणनीति

- LWE से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है:
 - सुरक्षा अवसंरचना और कर्मियों को सुदृढ़ बनाना;
 - सड़क संपर्क और दूरसंचार पहुंच को बढ़ावा देना;
 - आदिवासी समुदायों के अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करना;
 - मंत्रालयों के बीच विकास योजनाओं का समन्वय करना।
- गृह मंत्रालय ने 31 मार्च 2026 तक LWE को समाप्त करने के सरकार के संकल्प की पुनः पुष्टि की है, और माओवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया है।
 - हालिया सामूहिक आत्मसमर्पण आंदोलन के अंदर बढ़ती मोहभंग को दर्शाते हैं। पुनर्वास कार्यक्रम पूर्व उग्रवादियों को समाज में पुनः एकीकृत करने के

लिए वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आवास प्रदान करते हैं।

• **सुरक्षा उपाय:**

- ▲ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और विशेष एंटी-नक्सल इकाइयों की तैनाती।
- ▲ ड्रोन और निगरानी प्रणालियों सहित तकनीक एवं खुफिया जानकारी का उपयोग।
- ▲ दूरस्थ क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) की स्थापना।

• **विकास पहल:**

- ▲ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाएं ताकि पहुंच और गतिशीलता में सुधार हो सके।
- ▲ दूरसंचार नेटवर्क, विद्युत और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।
- ▲ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर किया जा सके।
- ▲ लक्षित निवेश के माध्यम से 'रेड ज़ोन' को विकास गलियारों में बदलना।

• **वैचारिक प्रतिकार:** सरकार माओवादी प्रचार का सामान समुदाय सहभागिता और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सक्रिय रूप से कर रही है।

- ▲ 'भारत मंथन 2025 – नक्सल मुक्त भारत' जैसे सेमिनार राज्यों के बीच सहमति निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का उद्देश्य रखते हैं।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

बाथौ धर्म

समाचार

- असम में बोडो समुदाय के बाथौ धर्म को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में आधिकारिक तौर पर एक अलग संहिता प्रदान की गई है।

विषय

- बाथौवाद बोडो समुदाय का स्वदेशी धर्म है, जो मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में केंद्रित है, जहाँ यह सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक जीवन का एक प्रमुख प्रतीक है।
- “बाथौ” शब्द “पाँच सिद्धांतों” को दर्शाता है, एक ब्रह्मांड विज्ञान जिसमें ब्रह्मांड पाँच तत्वों - हा (पृथ्वी), द्वि (जल), ओर (अग्नि), बर (वायु), और ओखरंग (आकाश) से बना है - एक ढाँचा जिसे बोडो परंपरा में प्रायः पाँच गहन सिद्धांतों या विचारों के रूप में समझाया जाता है।
- प्रकृति-पूजा में निहित, बाथौवाद पर्यावरण के प्रति श्रद्धा और पवित्र पौधों (सिजौ पौधे) एवं तात्विक प्रतीकों पर केंद्रित घरेलू तथा सामुदायिक अनुष्ठानों के माध्यम से मानव-प्रकृति संबंधों में संतुलन बनाए रखने पर बल देता है।

Source: ET

वी राइज़ पहल

समाचारों में

- ‘वी राइज़ (महिला उद्यमी समावेशी और सतत उद्यमों की पुनर्कल्पना कर रही हैं)’ पहल हाल ही में शुरू की गई है।

परिचय

- ‘वी राइज़’ पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को व्यापार सुविधा, मार्गदर्शन और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए सशक्त बनाना है।
- यह नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) द्वारा उसके अवार्ड टू रिवॉर्ड (ATR) पहल के अंतर्गत और DP वर्ल्ड के साथ मिलकर शुरू किया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के फोकस के अनुरूप है।

महिला उद्यमिता मंच (WEP)

- WEP की स्थापना 2018 में नीति आयोग में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी, जो 2022 में एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया।
- यह भारत में महिला उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और महिला-नेतृत्व वाले विकास को वास्तविकता में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है।
- सरकारी और निजी क्षेत्रों के 47 से अधिक भागीदारों के साथ, WEP एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा छह प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकताओं को संबोधित करता है — वित्त तक पहुंच, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, मार्गदर्शन एवं नेटवर्किंग, अनुपालन एवं कानूनी सहायता, तथा व्यवसाय विकास सेवाएं।

अवार्ड टू रिवॉर्ड (ATR) पहल

- इसकी शुरुआत 2023 में WEP की साझेदारी रूपरेखा को संस्थागत बनाने के लिए की गई थी, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को एक साथ लाया जा सके और महिला उद्यमियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके, साथ ही उनकी सफलता की कहानियों का उत्सव मनाया जा सके।
- यह एक प्लग-एंड-प्ले मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो विस्तार योग्य सहयोग और मापनीय प्रभाव को बढ़ावा देता है।

Source: TH

UPOV सम्मेलन

संदर्भ

- GRAIN की एक नई रिपोर्ट ने मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बीजों पर बढ़ते कॉर्पोरेट नियंत्रण की चेतावनी दी है।

परिचय

- प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाएं — जिनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं — पौधों की किस्मों पर कठोर बौद्धिक संपदा (IP) नियमों को आगे बढ़ा रही हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात एशिया और अफ्रीका के साथ व्यापार समझौतों में UPOV 1991 मानकों को बढ़ावा देने वाला एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा है।
- किसानों के बीजों को बचाने, आदान-प्रदान करने और पुनः उपयोग करने के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर कमजोर किया जा रहा है।
- **UPOV 1991 कन्वेंशन:** पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए गठित संघ का 1991 अधिनियम (UPOV) बीज कंपनियों को नई फसल किस्मों पर 20-25 वर्षों तक एकाधिकार अधिकार प्रदान करता है।
- इसका प्रारंभिक हस्ताक्षर 1961 में हुआ था।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- यह नई पौध किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी संरक्षण प्रणाली प्रदान करता है और उसका प्रचार करता है।
- किसानों को इन बीजों को बचाने, साझा करने या पुनः उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, स्वदेशी ज्ञान एवं खाद्य संप्रभुता कमजोर होती है।
- मूल रूप से यूरोप में औद्योगिक कृषि का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह मॉडल अब मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जा रहा है।

Source: DTE

रोटावायरस वैक्सीन बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के विरुद्ध प्रभावी

संदर्भ

- हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, भारत के स्वदेशी रोटवायरस टीके 'Rotavac' ने सार्वभौमिक

टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में शामिल होने के बाद बच्चों में रोटोवायरस से संबंधित गैस्ट्रोएन्टेराइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी की है।

Rotavac के बारे में

- **परिचय:** भारत ने 2016 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत 'Rotavac', एक स्वदेशी मौखिक रोटोवायरस टीका, को शुरू किया। इसे 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है।
- **सुलभता:** UIP के हिस्से के रूप में यह टीका सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

रोटोवायरस क्या है?

- रोटोवायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो छोटी आंत की परत की कोशिकाओं को संक्रमित और क्षतिग्रस्त करता है।
- यह शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त (गैस्ट्रोएन्टेराइटिस) का एक प्रमुख कारण है।
- **संक्रमण का तरीका:** मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग से फैलता है (जैसे दूषित भोजन, पानी या सतहों के माध्यम से)।

Source: TH

राज्य खनन तत्परता सूचकांक

संदर्भ

- खनन मंत्रालय ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI) और संबंधित राज्यों की रैंकिंग जारी की है।

स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI) के बारे में

- SMRI को राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे खनन क्षेत्र को सुगम और सुधारने में कैसे योगदान दे रहे हैं, विशेष रूप से गैर-कोयला खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- इस सूचकांक का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और सतत खनन को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है।
- इस सूचकांक की संरचना में ऐसे संकेतक शामिल हैं जैसे:

नीलामी प्रदर्शन, खदानों का शीघ्र संचालन, अन्वेषण पर बल और गैर-कोयला खनिजों से संबंधित सतत खनन।

राज्यों का वर्गीकरण

- राज्यों को उनके खनिज संसाधनों के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
 - ▲ **श्रेणी A (खनिज-समृद्ध राज्य):** मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
 - ▲ **श्रेणी B (मध्यम संसाधन वाले राज्य):** उत्तर प्रदेश और असम।
 - ▲ **श्रेणी C (कम संसाधन वाले राज्य):** पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा।

Source: PIB

वनों के लिए वित्त की स्थिति (SFF) रिपोर्ट

समाचारों में

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा हाल ही में पहला "वनों के लिए वित्त की स्थिति(SFF)" रिपोर्ट जारी किया गया।

वनों के लिए वित्त की स्थिति (SFF)

- यह रिपोर्ट 2023 में सार्वजनिक और निजी वन वित्त का वैश्विक अवलोकन प्रस्तुत करती है, तथा वर्तमान निवेश प्रवाह की तुलना उन निवेशों से करती है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि एवं भूमि क्षरण से निपटने में वनों की क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक हैं।
- यह प्रमाणित वस्तु आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रभाव निवेश, कार्बन और जैव विविधता बाजारों, परोपकारी वित्त पोषण, तथा सार्वजनिक वित्त के माध्यम से एकत्रित किए गए निजी पूंजी जैसे प्रमुख निजी वित्त चैनलों एवं प्रकृति-संबंधी परिसंपत्ति वर्गों को एकीकृत करता है।

मुख्य निष्कर्ष

- यह रिपोर्ट वनों में गंभीर रूप से कम निवेश को उजागर करती है, जबकि वे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और भूमि क्षरण से लड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

- 2023 में वैश्विक वन वित्त US\$84 बिलियन रहा, जो 2030 तक वार्षिक रूप से आवश्यक US\$300 बिलियन और 2050 तक US\$498 बिलियन से काफी कम है, जिससे प्रत्येक वर्ष US\$216 बिलियन की कमी बनी रहती है।
- निजी वन वित्त केवल US\$7.5 बिलियन था, जो मुख्य रूप से कम जोखिम वाले बाजारों को लक्षित करता है, न कि उन उष्णकटिबंधीय वस्तुओं को जो वनों की कटाई से जुड़ी हैं।
- वहीं, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली सब्सिडी US\$406 बिलियन तक पहुंच गई, और निजी संस्थानों के पास US\$8.9 ट्रिलियन की सक्रिय वित्तीय पूंजी उन कंपनियों से जुड़ी थी जिनमें वनों की कटाई का उच्च जोखिम है — यह सतत वन निवेश की दिशा में पूंजी को पुनः निर्देशित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
- इसकी शुरुआत 2005 में मॉन्ट्रियल में UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिज (COP 11) के दौरान की गई थी।
 - ▲ “+” को बाद में COP 13 में बाली (2007) में जोड़ा गया, ताकि वनों से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल किया जा सके।
- यह विकासशील देशों को वनों के संरक्षण, कार्बन भंडार को बढ़ाने और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- REDD+ वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के माध्यम से वनों की कटाई को कम करता है और विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों (NDCs) में व्यक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करने में सहायता करता है।
- REDD+ परियोजनाएं सरकारों, संगठनों, समुदायों और वन क्षेत्रों में व्यक्तियों को उन गतिविधियों के लिए भुगतान करती हैं जो वनों का संरक्षण करती हैं तथा वन-आधारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) से बचाव करती हैं।

Source: DTE

REDD+ कार्यक्रम

संदर्भ

- एक अध्ययन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय वनों के कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं में से केवल कुछ ही ने वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी प्राप्त की है, जिनमें मात्र 19% परियोजनाएं ही अपने रिपोर्ट किए गए लक्ष्यों को पूरा कर पाई हैं।
 - ▲ ये ऑफसेट परियोजनाएं REDD+ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका पूर्ण रूप है — वनों की कटाई और क्षरण से उत्सर्जन में कमी प्लस।

REDD+ क्या है?

- REDD+ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए विकसित किया गया एक समाधान है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों द्वारा विकसित किया गया है।
 - ▲ पेरिस जलवायु समझौता REDD+ और वनों की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है।

Source: DTE

ब्रह्मोस

संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रथम बैच को रवाना किया।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- **संयुक्त उपक्रम:** DRDO (भारत) और NPO माशिनोस्त्रोयेनीया (रूस) के बीच।
- **नाम की उत्पत्ति:** ब्रह्मपुत्र (भारत) और मस्कवा (रूस) नदियों से लिया गया।
- **प्रथम परीक्षण:** 12 जून 2001 को किया गया।
- **सेना में शामिल होने की समयरेखा:** नौसेना (2005), थल सेना (2007) और वायु सेना (2017)।

प्रकार: “फायर एंड फॉरगेट” सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल — जिसे भूमि, समुद्र या वायु से सभी मौसमों में लॉन्च किया जा सकता है, तथा इसे रोकना लगभग असंभव है।

- **युद्ध में उपयोग:** रिपोर्ट के अनुसार प्रथम बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग किया गया।
- **गति:**
 - ▲ **वर्तमान:** Mach 2.8 (सुपरसोनिक)
 - ▲ **भविष्य:** Mach 5+ (हाइपरसोनिक संस्करण विकासाधीन)
- **रेंज:**
 - ▲ **प्रारंभिक:** 290 किमी (MTCR सीमा के अंतर्गत)
 - ▲ **विस्तारित:** 400 किमी, और 600+ किमी का संस्करण विकासाधीन।
- **चरण:** ब्रह्मोस एक दो-चरणीय मिसाइल है जिसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन होता है।
 - ▲ पहला चरण मिसाइल को सुपरसोनिक गति तक पहुंचाता है और फिर अलग हो जाता है।
 - ▲ दूसरा चरण — लिक्विड रैमजेट — क्रूज चरण में मिसाइल को ध्वनि की गति से तीन गुना तक ले जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (MTCR) एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय समूह है जिसका उद्देश्य उन मिसाइल तकनीकों के प्रसार को सीमित करना है जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में किया जा सकता है।
- अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, MTCR गैर-सदस्य देशों को मिसाइलों और कुछ तकनीकों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। भारत 2016 में इसका सदस्य बना।

Source: AIR

राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल

संदर्भ

- कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की कार्यकारी बोर्ड ने गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद को “प्रस्तावित मेज़बान” के रूप में अनुशंसित किया है। भारत ने अंतिम बार 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल की मेज़बानी की थी।

राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल के बारे में

- राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत 1930 में (प्रारंभिक आयोजन हैमिल्टन, कनाडा में) ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी।
- वर्तमान में यह एक बहु-खेल अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जो ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होता है और इसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस तथा उनके संबद्ध क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।
- कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, या संक्षेप में कॉमनवेल्थ, 54 संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्व उपनिवेश रहे हैं।
- राजनीतिक परिवर्तनों और स्वैच्छिक वापसी या नए जुड़ाव के कारण सदस्यता समय के साथ विकसित हुई है।
- आज, राष्ट्रमंडल/कॉमनवेल्थ खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बहु-खेल आयोजन है और चौथा सबसे अधिक देखा जाने वाला वैश्विक प्रसारण खेल कार्यक्रम है, जिसमें 71 देशों एवं क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं।

Source: TH

